रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 1995/पौष 27, 1916
No. 40] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 1995/PAUSA 27, 1916

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1995

का. आ. 46(अ)– संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इसके द्वारा, यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम, की अनुसूची के अनुच्छेद I (खंड 1), अनुच्छेद–II (खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8), अनुच्छेद–III (खंड 9 और 10), अनुच्छेद I, खंड 11, 12, 13, 14, 15 और 16, अनुच्छेद V (खंड 17, 18, 20 और 21), अनुच्छेद–VI (खंड 22 और 23), अनुच्छेद–VII (खंड 24, 25 और 26) और अनुच्छेद VIII (खंड 29) यथोचित परिवर्तनों सहित एशियाई/प्रशान्त प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण केन्द्र और इसके प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों पर लागू होंगे ।

2. इस अधिसूचना को अप्रैल, 1994 के सातवें दिन से प्रभावी माना जाएगा।

[फा. सं. यू आई/252/1/93]
सुश्री सावित्री कुनाडी, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

भारत सरकार ने एशियाई एवं प्रशासन प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण केन्द्र को इसके प्रतिनिधियों और अधिकारियों का वही विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान करने के लिए 7 अप्रैल, 1994 को एक करार सम्पन्न किया है जो भारत में संयुक्त राष्ट्र के कार्यालयों, उनके प्रतिनिधियों और अधिकारियों को प्रदान की जाती हैं। एशियाई एवं प्रशान्त प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण केन्द्र नई दिल्ली में दिसम्बर, 1993 में खोला गया था। तदनुसार यह आवश्यक है कि यह अधिसूचना भूतलक्षी प्रभाव से यानी 7 अप्रैल, 1994 से लागू की जाए। इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव यानी 7 अप्रैल, 1994 से लागू करने से किसी के भी हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 1995

S.O. 46(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947) the Central Government hereby declares that the provisions of Article I (Section1). Article II (Sections 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8), Article III (Section 9 & 10), Article IV (Section 11, 12, 13, 14, 15 and 16), Article V (Sections 17, 18, 20, and 21), Article VI (Sections 22 and 23), Article VII (Sections 24, 25 and 26) and Article VIII (Section 29) of the Schedule to the said Act shall apply mutatis mutandis to the Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology and is representatives and officials.

2. This notification shall be deemed to have come into force on the 7th day of April, 1994.

[F. No. UI|252|15|93]
SAVITRI KUNADI, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Government of India have, on the 7th April, 1994 entered into an agreement to accord to the Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology, its representatives and officials, the same privileges and immunities as are accorded to the United Nations Offices in India, their representatives and officials. The Headquarters of the Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology in New Delhi was opened in December, 1993. Accordingly, it is necessary for this notification to be made operative retrospectively from 7th April 1994. By giving retrospective operation to this notification, no one's interests will be prejudicially affected.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995